क्रम संख्या–097

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 01 अगस्त, 2002 ई0
श्रावण 10, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 240/विधायी एवं संसदीय कार्य/2002
देहरादून, 01 अगस्त, 2002

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राष्ट्रपति ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल भारतीय वन (उत्तरांचल, संशोधन) विधेयक, 2001 को दिनांक 17–7–2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 10, सन् 2002 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भारतीय वन (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001
(अधिनियम सं0 10 वर्ष 2002)

भारतीय वन अधिनियम, 1927 का उत्तरांचल में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधन करने के लिये

अधिनियम

मारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1. (1) यह अधिनियम भारतीय वन (उत्तरांचल) अधिनियम, 2001 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगा।

(3) यह ऐसे दिनाँक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करें।

2. भारतीय वन अधिनियम, 1927 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा–2 में निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा।

2–क "प्राधिकृत अधिकारी" का तात्पर्य धारा–52 क के अधीन प्राधिकृत किये गये अधिकारी से है।

धारा 26 का संशोधन 3. मूल अधिनियम की धारा 26 की, उपधारा (1) में–

(एक) खण्ड (ख) में शब्द "आरक्षित वन में" के पश्चात शब्द "या ऐसी किसी भूमि में स्थित किसी वन में जिसके सम्बन्ध में धारा–4 के अधीन अधिसूचना जारी की गई हो" बढ़ा दिये जायेंगे,

(दो) खण्ड (ङ) में, शब्द "घसीटने" के स्थान पर शब्द "हटाने" रख दिया जायेगा,

(तीन) खण्ड (च) में, शब्द "पत्तियां तोड़ डालेगा, या उसे" के पश्चात शब्द "या किसी वन उपज को" बढ़ा दिये जायेंगे,

(चार) शब्द "ऐसी अवधि के कारावास से, जो छः मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनो से दण्डित किया जायेगा" के स्थान पर शब्द, "खण्ड (ख) या खण्ड (च) या खण्ड (छ) या खण्ड (ज) में वर्णित किसी कार्य के लिए ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा, और उसी अपराध के लिए द्वितीय और प्रत्येक अनुवर्ती दोषसिद्धि पर ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, किन्तु जो पांच हजार रुपये से कम का न होगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा और अन्य खण्डों में वर्णित किसी कार्य के लिए ऐसी अवधि के कारावास से, जो छः मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनो से, दण्डित किया जायेगा और उसी अपराध के लिए द्वितीय और प्रत्येक अनुवर्ती दोषसिद्धि पर ऐसी अवधि के कारावास से, जो छः मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनो से, दण्डित किया जायेगा" रख दिये जायेंगे।

धारा 33 का संशोधन 4. मूल अधिनियम की धारा 33 की, उपधारा (1) में–

(एक) खण्ड (ग) में, शब्द "या साफ करेगा" के पश्चात शब्द "या तोड़ने या साफ करने का प्रयास करता है" बढ़ा दिया जायेगा,

(दो) खण्ड (च) में, शब्द "खीचेंगा" के स्थान पर शब्द "हटायेगा" रख दिये जायेंगे,

(तीन) शब्द "जो छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से" के स्थान पर, "जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा और उसी अपराध के लिए द्वितीय और प्रत्येक अनुवर्ती दोषसिद्धि पर ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा" रख दिये जायेंगे।

धारा 42 का संशोधन 5. मूल अधिनियम की धारा 42 की, उपधारा (1) में–

शब्द "जो छः मास तक का हो सकेगा, या जुर्माना, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा" के स्थान पर शब्द, "जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा" रख दिये जायेंगे।

6. मूल अधिनियम की धारा 52 में– धारा 52 का संशोधन

(एक) उपधारा (1) शब्द "छकड़ों या पशुओं" के स्थान पर शब्द "वाहनों, पशुओं, रस्सियों, जंजीरों या अन्य वस्तुओं" रख दिये जायेंगी।

(दो) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायेंगी–

कोई वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी, यदि यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी नाव या छकड़ों या वाहन का प्रयोग ऐसी किसी वन उपज के परिवहन के लिए किया गया है या किया जा रहा है, जिसके सम्बन्ध में कोई वन अपराध किया गया है या किया जा रहा है, तो वह ऐसी नाव या वाहन के चालक या अन्य प्रभारी व्यक्ति से उसे रोकने की अपेक्षा कर सकता है और वह ऐसी किसी नाव या वाहन को ऐसे युक्तियुक्त समय के लिए जैसा कि ऐसी नाव या वाहन में रखी वस्तुओं का परीक्षण करने के लिए और ऐसी नाव या वाहन के चालक या अन्य प्रभारी व्यक्ति के प्रश्नगत वन उपज के स्वामित्व और विधिक उत्पत्ति से सम्बन्धित दावों, यदि कोई हो, को अभिनिश्चित करने के लिए परिवहित माल से सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए आवश्यक हो, निरुद्ध कर सकता है।

(तीन) इस धारा के अधीन किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण करने वाला हर अधिकारी ऐसी सम्पत्ति पर यह उपदर्शित करने वाला चिन्ह लगायेगा कि उसका इस प्रकार अभिग्रहण हो गया है और यथाशक्य शीघ्र ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट उस अपराध का, जिसके कारण अभिग्रहण हुआ है, विचारण करने के लिए अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेजेगा और यदि अभिग्रहण वन उपज के सम्बन्ध में हों, जोकि राज्य सरकार की सम्पत्ति है तो वह प्राधिकृत अधिकारी को भी रिपोर्ट करेगा।

7. मूल अधिनियम की धारा–52 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं बढ़ा दी जायेंगी अर्थात् : धारा 52–क, 52–ख, 52–ग और 52–घ का बढ़ाया जाना।

52 (क) अभिग्रहण पर प्रक्रिया

(1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी वन उपज, जो राज्य सरकार की सम्पत्ति है, के सम्बन्ध में किसी वन अपराध के किए जाने का विश्वास हो, वहां धारा–52 की उपधारा (1) के अधीन सम्पत्ति का अभिग्रहण करने वाला अधिकारी, बिना अयुक्तियुक्त विलम्ब के उसे अपराध करने में प्रयुक्त ऐसे समस्त औजारों, नावों, वाहनों, पशुओं, रस्सियों, जंजीरों और अन्य वस्तुओं सहित राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष, जो प्रभागीय वनाधिकारी की पंक्ति से निम्न न हो, प्रस्तुत करेगा जो ऐसी सम्पत्ति की अभिरक्षा कब्जा, परिदान, निस्तारण या वितरण के सम्बन्ध में कारणों सहित, जो अभिलिखित किए जायेंगे एक लिखित आदेश देगा और औजारों, नावों, वाहनों, पशुओं, रस्सियों, जंजीरों और अन्य वस्तुओं की स्थिति में उन का अधिहरण भी कर सकता है।

(2) प्राधिकृत अधिकारी, बिना किसी अनुचित विलम्ब के, उपधारा (1) के अधीन दिए गये आदेशों की एक प्रति अपने पदीय वरिष्ठ को अग्रसारित करेगा।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित करने वाले प्राधिकृत अधिकारी की राय हो कि सम्पत्ति शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील है, वहां वह ऐसी सम्पत्ति को या उसके किसी भाग को लोक नीलामी द्वारा बेचे जाने का आदेश दे सकता है और आगमों को इस प्रकार बरत सकता है जैसा कि वह उस सम्पत्ति को बरतता यदि वह बेची न गई होती और प्रत्येक ऐसी बिक्री की रिपोर्ट अपने पदीय वरिष्ठ को करेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश उस व्यक्ति को जिससे सम्पत्ति का अभिग्रहण किया जाय और किसी अन्य व्यक्ति को जो प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी सम्पत्ति में कुछ हित रखने वाला प्रतीत हो, बिना लिखित सूचना दिए नहीं दिया जायेगा। परन्तु किसी वाहन के अधिहरण करने के किसी आदेश में जहां अपराधी का कोई पता न चल सके, उसके रजिस्ट्रीकृत स्वामी को लिखित सूचना देना और उसकी आपत्तियों पर यदि कोई हो विचार करना, पर्याप्त होगा।

(5) किसी औजार, नाव, वाहन, पशु, रस्सी, जंजीर या अन्य वस्तु का अधिहरण करने का कोई आदेश नहीं दिया जायेगा यदि उपधारा (4) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति प्राधिकृत अधिकारी को संतोषजनक यह साबित कर दे कि ऐसे किसी औजार, नाव, वाहन, पशु, रस्सी, जंजीर या अन्य वस्तु का प्रयोग बिना उसकी जानकारी के या मौनानुकुलता से या यथास्थिति, बिना उसके रोचक या अभिकर्ता की जानकारी के मौनानुकुलता से किया गया था और वन अपराध के किए जाने के लिए उपर्युक्त वस्तुओं के प्रयोग के विरुद्ध सभी युक्तियुक्त पूर्वोपाय किए गये थे।

52–ख अपील

अधिहरण के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उनकी ऐसे आदेश की सूचना के दिनाँक के तीस दिन के भीतर सम्बन्धित वृत्त के वन संरक्षक को अपील कर सकता है और वन संरक्षक अपीलार्थी और प्राधिकृत अधिकारी को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात, उस आदेश को जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, पुष्टि, उपान्तरित या अभिशून्य करते हुए ऐसे आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे और वन संरक्षक का आदेश अंतिम होगा।

52–ग अभिहरण का आदेश किसी अन्य दण्ड को नहीं रोकेगा

धारा 52–क या 52–ख के अधीन अधिहरण का कोई आदेश ऐसे किसी दण्ड को दिए जाने से नहीं रोकेगा जिसका उससे प्रभावित, व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दायी हो सकता है।

52–घ

इस अधिनियम या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 या तत्समय प्रवृत्त कतिपय मामलों में अधिकारिता पर रोक या किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जब कभी राज्य सरकार की कोई वन उपज और उसके साथ कोई औजार, नाव, वाहन, पशु, रस्सी, जंजीर या अन्य वस्तु धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन अभिग्रहित की जाय, तब प्रत्येक अन्य अधिकारी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकारी को उपवर्जित करते हुए धारा 52–क के अधीन वन संरक्षक प्राधिकृत अधिकारी को या धारा 52–ख के अधीन को सम्पत्ति का अभिरक्षा, कब्जे में रखने परिदान, निस्तारण या वितरण के सम्बन्ध में आदेश देने के लिए अधिकारित होगी।

धारा 53 का संशोधन

8. मूल अधिनियम की धारा 53 में–

(एक) शब्द "छकड़ों या पशुओं" के स्थान पर "वाहनों, पशुओं, रस्सियों, जंजीरों, या अन्य वस्तुयें" रख दिये जायेंगे।

(दो) शब्द "बन्ध पत्र निष्पादित किये जाने पर", के पश्चात शब्द "धारा 52–क के अधीन आने वाले मामलों के, जिनके लिये उस धारा में दीं गयी प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा", बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 55 का संशोधन

9. मूल अधिनियम की धारा 55 में, उपधारा (1) में शब्द "ऐसे वन विषयक अपराध के करने में प्रयुक्त सब छकड़े, पशु" के स्थान पर शब्द, "वाहन, पशु रस्सियां, जंजीरें और वस्तुयें" रख दिये जायेंगे।

धारा 57 का संशोधन

10. मूल अधिनियम की धारा 57 में, शब्द "कोई अपराध किया गया है, तो" के पश्चात शब्द "धारा 52 घ के अधीन रहते हुये" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 58 का संशोधन

11. मूल अधिनियम की धारा 58 में शब्द "मजिस्ट्रेट, धारा 52 के अधीन अभिग्रहीत और शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील सम्पत्ति के विक्रय के लिये, इसमें इसके पूर्व अन्तर्निष्ट किसी बात के होते हुये भी" के स्थान पर शब्द "धारा 52 के अधीन अभिग्रहीत की गई और शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील सम्पत्ति के विक्रय के लिये, इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 52–क की उपधारा (3) के अधीन रहते हुये, मजिस्ट्रेट" रख दिये जायेंगे।

धारा 60 का संशोधन

12. मूल अधिनियम की धारा 60 को उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी,–(2) जब धारा 52–क के अधीन अधिहरण के लिए आदेश पारित किया जा चुका है और अपील या पुनरीक्षण के लिए परिसीमा अवधि बीत गयी है और कोई अपील या पुनरीक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया है या जब अपील या पुनरीक्षण में सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग के लिए अधिहरण के आदेश की पुष्टि की जा चुकी है तो, यथास्थिति, ऐसी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसका कोई भाग सभी विल्लगंगो से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जायेगा"।

नयी धारा 61–क और धारा 61–ख का बढ़ाया जाना

13. मूल अधिनियम की धारा 61–के पश्चात, निम्नलिखित धाराऐं बढ़ा दी जायेंगी–

61–क अप्राधिकृत अध्यासियों की 61(क) संक्षिप्त बेदखली

(1) यदि प्रभागीय वनाधिकारी से अनिम्न पंक्ति के किसी वन अधिकारी की यह राय हो कि कोई व्यक्ति जो आरक्षित या संरक्षित वन के रूप में गठित क्षेत्र में किसी भूमि के अप्राधिकृत अध्यासन में है और उसे बेदखल किया जाना चाहिये तो वन अधिकारी लिखित में सूचना देगा, जिसमें सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसी दिनांक को या उसके पूर्व जो नोटिस में विनिर्दिष्ट है, कारण बताने को कहा जायेगा कि बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाय।

(2) यदि इस धारा के अधीन सूचना के अनुसरण में दिखाये गये कारण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात वन अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि उक्त भूमि अप्राधिकृत अध्यासन में है, तो वह ऐसे कारणों से जो उसमें अभिलिखित किए जायेंगे बेदखली का आदेश दे सकता है जिसमें यह निर्देश होगा कि उक्त भूमि को ऐसे दिनांक तक जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, जो आदेश के दिनांक से दस दिन से कम नहीं होगा, सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा रिक्त कर दिया जायेगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक तक बेदखली के आदेश का अनुपालन करने से इन्कार करता है या विफल रहता है तो वन अधिकारी, जिसने उपधारा (2) के अधीन आदेश दिया था या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अन्य वन अधिकारी, उस व्यक्ति को उक्त भूमि से बेदखल कर सकता है और उसका कब्जा ले सकता है और इस प्रयोजन के लिए बल का प्रयोग कर सकता है, जैसा आवश्यक हो।

(4) उपधारा (2) के अधीन वन अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाए, ऐसे आदेश के विरुद्ध वृत्त के वन संरक्षक को या ऐसे अधिकारी को जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, अपील कर सकता है और वन संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी का आदेश ऐसी अपील के विनिश्चय के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।

61 ख–अप्राधिकृत अध्यासी द्वारा भूमि पर छोड़ी गयी सम्पत्ति निस्तारण

(1) जहां कोई व्यक्ति धारा 61–क के अधीन किसी भूमि से बेदखल कर दिया गया हो वहां वन अधिकारी उस व्यक्ति को जिससे भूमि का कब्जा लिया गया है, कम से कम दस दिन की नोटिस देने के पश्चात्, ऐसी भूमि पर अवशेष किसी सम्पत्ति को, जिसके अन्तर्गत गिराए गये भवन की कोई सामग्री या खड़ी फसल भी है, हटा सकता है या हटवा सकता है या लोक नीलामी द्वारा उसका निस्तारण कर सकता है।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई सम्पत्ति बेची जाय वहां उसके विक्रय आगम का भुगतान, विक्रय के व्ययों की और भूमि को उसके मूल रुप में लाने के लिए आवश्यक व्ययों की कटौती करने के पश्चात्, सम्बन्धित व्यक्ति को किया जायेगा।

नई धारा–65क को बढ़ाया जाना

14. मूल अधिनियम की धारा–65 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्

65–क कतिपय अपराध अजमानतीय होगें

(1) इस अधिनियम में या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 26 या धारा 33 या धारा 42 या धारा 63 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अजमानतीय होगा।

(2) उपर्युक्तानुसार किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को, यदि अभिरक्षा में है, जमानत पर या उसके निजी बन्धपत्र पर निर्मुक्त नही किया जायेगा, जब तक कि–

(क)–अभियोजन पक्ष को ऐसी निर्मुक्ति के लिए आवेदन पत्र का विरोध करने के लिए अवसर न दिया गया हो, और

(ख)–जहां अभियोजन पक्ष उपर्युक्तानुसार आवेदन पत्र का विरोध करता है, वहां न्यायालय का यह समाधान न हो जाये कि यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है।

धारा 68 का संशोधन

15. मूल अधिनियम की धारा 68 में, उपधारा (3) में–

(एक) शब्द "और कम से कम सौ रुपये मासिक वेतन पाता है" निकाल दिये जायेंगे,

(दो) शब्द "पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "प्रथम अपराध के लिये पांच हजार रुपये और उसी प्रकृति के द्वितीय और अनुवर्ती अपराध के लिये पांच हजार रुपये से कम या दस हजार रुपये से अधिक नहीं होगी" रख दिये जायेंगे।

धारा 74 का प्रतिस्थापन

16. मूल अधिनियम की धारा 74 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्–

सदभाव से किये गये कार्यों के लिये परित्राण

इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या दिए गये आदेशों के अनुसरण में राज्य सरकार या किसी लोक सेवक द्वारा सदभावना पूर्वक किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्य के लिए उसके विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

धारा 77 का संशोधन

17. मूल अधिनियम की धारा 77 में, शब्द "एक मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा" रख दिये जायेंगे।

धारा 79 का संशोधन

18. मूल अधिनियम की धारा 79 की, उपधारा (2) में शब्द "एक मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से दो हजार रुपये तक का हो सकेगा" रख दिये जायेंगे।

धारा 82 का प्रतिस्थापन

19. मूल अधिनियम की धारा 82 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्–

सरकार की शोध्य धन की वसूली

इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन, या किसी वन उपज की या किसी आरक्षित या संरक्षित वन में राज्य सरकार के स्वामित्वाधीय भूमि पर उत्पन्न की गई किसी कृषि फसल की कीमत या वन उपज या उक्त कृषि फसल की कीमत या वन उपज या उक्त कृषि फसल से सम्बन्धित किसी संविदा के अधीन राज्य सरकार को जुर्माने से भिन्न देय सब धन जिसके अन्तर्गत उस संविदा के उल्लंघन के लिए या उसके रद्द किए जाने के परिणामस्वरुप उसके आधार पर वसूलीय कोई धनराशि भी है, या ऐसी कृषि फसल या अन्य वन उपज की नीलामी द्वारा, या किसी वन अधिकारी द्वारा या उसके प्राधिकारी के अधीन जारी किए गए टेन्डरों को आमंत्रित करके बिक्री से सम्बन्धित नोटिस के शर्तों के अधीन देय धन और इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को दिए गये समस्त प्रतिकर, यदि शोध्य होने पर न दिए गये हो, तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन ऐसे वसूल किए जा सकेंगे मानो वे भू–राजस्व की बकाया हो।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 पाण्डेय)
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Indian Forest (Uttaranchal Amendment) Bill, 2001 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 10 of 2002):

No. 240/Vidhayee and Sansadiya Karya/2002
Dated Dehradun, August 01, 2002

NOTIFICATION
Miscellaneous

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the President on July 17, 2002.

THE INDIAN FOREST (UTTARANCHAL AMENDMENT) ACT, 2001
(Act no. 10 of 2002)

to amend the Indian Forest Act, 1927 in its application to Uttaranchal

AN
ACT

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-Second Year of the Republic of India as follows :–

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Indian Forest (Uttaranchal Amendment) Act, 2001.

   (2) It shall extend to the whole of Uttaranchal.

   (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

Amendment of section 2 of Act no. XVI of 1927

2. In section 2 of Indian Forest Act, 1927; hereinafter referred to as the principal Act, the following clause shall be inserted, namely :

   2--A "authorised officer" means an officer authorised under sub-section (1) of section 52-A.

Amendment of section 26

3. In section 26 the principal Act, in sub-section (1) –

   (i) in clause (b) after the words "reserved forest" the words or "to a forest in the land in respect of which a notification under section 4 has been issued" shall be inserted;

   (ii) in clause (e) for the word "dragging" the word "removing" shall be substituted;

   (iii) in clause (f) after the words "the same" the words "or any forest produce" shall be inserted;

   (iv) for the words "shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both;" the words "shall, for an Act described under clause (b) or clause (f) or clause (g) or clause (h), be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both and on the second and every subsequent conviction for the same offence, with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to twenty thousand rupees but which shall not be less than five thousand rupees, or with both, and for an Act described under any of the other clauses, be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both, and on the second and every subsequent conviction for the same offence, with imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both," shall be substituted.

Amendment of section 33

4. In section 33 of the principal Act, in sub-section (1) --

(i) in clause (c) after the words "or clears" the words "or, attempts to break-up or clear" shall be inserted;

(ii) in clause (f) for the word "drags" the word "removes" shall be substituted;

(iii) for the words "six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both "the words "two years, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both and on the second and every subsequent conviction for the same offence, with imprisonment for a term which may extend to two years and with fine which may extend to ten thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of section 42

5. In section 42 of the principal Act, in sub-section (1), or the words "six month, or fine which may extend to five hundred rupees" the words "two years, or fine which may extend to five thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of section 52

6. In section 52 of the principal Act--

(i) in sub-section (1), for the words "carts or cattle" the words "vehicles, cattle, ropes, chains or other articles" shall be substituted;

(ii) for sub-section (2), the following sub-sections shall be substituted, namely--

"(2) Any Forest Officer or Police Officer may, if he has reason to believe that a boat or vehicle has been, or is being, used for the transport of any forest produce in respect of which a forest offence has been, or is being, committed, require the driver or other person in charge of such boat or vehicle to stop it, and he may detain such boat or vehicle for such reasonable time as is necessary to examine the contents in such boat or vehicle and to inspect the records relating to the goods transported so as to ascertain the claims, if any, of the driver or other person in-charge of such boat or vehicle regarding the ownership and legal origin of the forest produce in question.

(3) Every officer seizing any property under this section shall place on such property a mark indicating that the same has been so seized and shall, as soon as may be, make a report of such seizure to the Magistrate having jurisdiction to try the offence on account of which the seizure has been made, and if the seizure is in respect of forest produce which is the property of the State Government, shall also make a report to the authorised officer."

Insertion of new section 52-A, 52-B, 52-C and 52-D

7. After section 52 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely--

"52-A procedure on seizure--(1) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, where a forest offence is believed to have been committed in respect of any forest produce, which is the property of the State Government, the officer seizing the property under sub-section (1) of section 52 shall, without unreasonable delay, produce it together with all the tools, boats, vehicles, cattle, ropes, chains and other articles used in committing the offence before an officer, not below the rank of a Divisional Forest Officer, authorised by the State Government in this behalf, who may, for reasons to be recorded, make an order in writing with regard to custody, possession, delivery, disposal or distribution of such property, and in case of tools, boats, vehicles, cattle, ropes, chains and other articles, may also confiscate them.

(2) The authorisd officer shall, without any undue delay, forward a copy of the order made under sub-section (1) to his official superior.

(3) Where the authorised officer passing an order under sub-section (1) is of the opinion that the property is subject to speedy and natural decay he may order the property or any part thereof to be sold by public auction and may deal with the proceeds as he would have dealt with such property if it had not been sold and shall report about every sale to his official superior.

(4) No order under sub-section (1) shall be made without giving notice, in writing, to the person from whom the property is seized, and to any other person who may appear to the authorised officer to have some interest in such property :

Provided that in an order confiscating a vehicle, when the offender is not traceable, a notice in writing to the registered owner thereof and considering his objections if any will suffice.

(5) No order of confiscation of any tool, boat, vehicle, cattle, ropes, chain or other article shall be made if any person referred to in sub-section (4) proves to the satisfaction of the authorised officer that any such tool, boat, vehicle, cattle, rope, chain or other article was used without his knowledge or connivance or without the knowledge or connivance of his servant or agent, as the case may be, and that all reasonable precautions had been taken against use of the objects aforesaid for the commission of the forest offence.

52-B Appeal–Any person aggrieved by an order of confiscation may, within thirty days of the date of communication to him of such order, prefer an appeal to the Conservator of the forests of the circle who shall, after giving an opportunity of being heard to the appellant and the authorised officer, pass such order as it may think fit confirming, modifying or annulling the order appealed against and the order of the Conservator of the forests of the circle shall be final.

52-C Order of confiscation not to prevent any other punishment–No order of confiscation under section 52-A or 52-B shall prevent the infliction of any punishment to which the person affected thereby may be liable under this Act.

52-D Bar of Jurisdiction in certain cases--Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in the Code of Criminal Procedure, 1973 or in any other law for the time being in force, whenever any forest produce belonging to the State Government together with any tool, boat, vehicle, cattle, rope, chain or other article is seized under sub-section (1) of section 52, the authorised officer under section 52-A or the State Government under section 52-B shall have jurisdiction, to the exclusion of every other officer, court, Tribunal or authority, to make orders with regard to the custody, possession, delivery, disposal or distribution of the property.

8. In section 53 of the principal Act, -- Amendment of section 53

(i) for the words "carts or cattle" the words "vehicle, cattle, ropes, chains or other articles" shall be substituted;

(ii) after the words "the seizure has been made" the words "except in respect of cases falling under section 52-A for which the procedure laid down in that section shall be followed" shall be inserted.

9. In section 55 of the principal Act, in sub-section (1) for the words "Carts and cattle used in committing any forest offence" the words "vehicles, cattle, ropes, chains and other articles used in committing such forest offence" shall be substituted. Amendment of section 55

10. In section 57 of the principal Act, for the words "The Magistrate may" the words "The Magistrate, subject to section 52-D, may", shall be substituted. Amendment of section 57

Amendment of section 58

11. In section 58 of the principal Act for the words "The Magistrate may, notwithstanding aything herembefore contained," the words. "Notwithstanding anything hereinbefore contained, but subject to sub-section(3) of section 52-A, the magistrate may," shall be substituted.

Amendment of section 60

12. Section 60 of the principal Act shall be renumbered as sub-section (1) thereof and after sub-section (1) as so renumbered the following sub-section shall be inserted, namely:--

"(2) When an order for confiscation has been passed under section 52-A and the period of limitation for an appeal or revision has elapsed and no appeal or revision has been preferred or when an appeal or revision the order for confiscation for whole or a portion of the property has been confirmed, the property or such portion, as the case may be, shall vest in the State *Government free from all encumbrances.*"

Insertion of new sections 61-A and 61-B

13. After section 61-A of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely--

"**61-A Summary eviction of unauthorised occupants--(1)** If a Forest Officer, not below the rank of a Divisional Forest Officer, is of the opinion that any person is in unauthorised occupation of any land in areas *constituted as a reserved or protected forest under section* 20 or section 29, as the case may be, and that he should be evicted, the Forest Officer shall issue a notice in writing calling upon the person concerned to show cause, on or before such date as is specified in the notice, why an order of eviction should not be made.

(2) If after considering the cause, if any, shown in pursuance of a notice under this section, the Forest Officer is satisfied that the said land is in unauthorised occupation, he may make an order of eviction for reasons to be recorded therein, directing that the said land shall be vacated by such date, as may be specified in the order, by the person concerned, which shall not be less than ten days from the date of the order.

(3) if any person refuses or fails to comply with the order of eviction by the date specified in the order, the Forest Officer who made the order under *sub-section* (2) *or any* other Forest Officer, duly authorised by him in this behalf, may evict that person from and take possession of the said land and may,-or this purpose, use such force *as may be necessary.*

(4) Any person aggrieved by an order of the Forest Officer undr sub-section (2) may, *within such period and in such manner* as may be prescribed, appeal against such order to the Conservator of Forests of the circle or to such officer as may be authorised by the State Government in this behalf and the order of the Forest Officer shall, subject to the decision in such appeal, be final.

61-B Disposal of property left on land by unauthorised occupant--(1) Where any person has been evicted from any land under section 61-B, the Forest Officer may, after giving not less than ten days notice to the person from whom possession of the land has been taken remove or cause to be removed or dispose of, by public auction, any property remaining on such land including any material of a demolished building or standing crop.

(2) Where any property is sold under sub-section(1) the sale proceeds thereof shall, after deducting the expenses of the sale and the expenses necessary to restore the land to its original condition, be paid to the person concerned."

Insertion of new section 65-A

14. After section 65 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely--

"**65-A Certain offences to be non- bailable**--(1) Notwithstanding anything contained in this Act or in the Code of Criminal Procedure, 1973, any offence punishable under section 26, or section 33 or section 42 or section 63 shall be non-bailable.

(2) No person accused of any offence as aforesaid shall, if in custody, be released on bail or on his own bond unless--

(a) the prosecution has been given an opportunity to oppose the application for such release, and

(b) where the prosecution opposes the application as aforesaid, the Court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offences."

15. In section 68 of the principal Act, in sub-section (3)— Amendment of section 68

(i) the words "and is in receipt of a monthly salary amounting to atleast one hundred rupees" shall be omitted;

(ii) for the words "fifty rupees" the words "five thousand rupees for the first offence and for second subsequent offence of the same nature shall not be less than five thousand rupees or more than ten thousand rupees." shall be substituted.

16. For section 74 of the principal Act the following section shall be substituted, namely-- Substitution of section 74

"**74 Indemnity for acts done in good faith**--No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any public servant for anything one by him under this Act or rules or orders made thereunder."

17. In section 77 of the principal Act for the words "one month, or fine which may extend to five hundred rupees" the words "one year, or with fine which may extend to two thousand rupees" shall be substituted. Amendment of section 77

18. In section 79 of the principal Act, in sub-section (2) for the words "one month, or with fine which may extend to two hundred rupees", the words "one year, or with fine which may extend to one thousand rupees", shall be substituted. Amendment of section 79

19. for section 82 of the principal Act the following section shall be substituted, namely-- Substitution of section 82

"**82 Recovery of money due to State Government**--All money, other than fines, payable to the State Government under this Act or under any rule made thereunder or on account of the price of any forest produce or any agricultural crop grown on land owned by the State Government in a reserved or protected forest or under any contract relating to forest produce or said agricultural crop, including any sum recoverable thereunder for breach thereof, or in consequence of its cancellation, or under the terms of a notice relating to the sale of such agricultural crop or other forest produce by auction or by invitation of tenders issued by or under the authority of a Forest Officer and all compensation awarded to the State Government under this Act, may, if not paid when due, be recovered, under the law for the time being in force, as if it were an arrear of land-revenue."

By Order,

(R. P. PANDEY)

Sachiv.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 18 विधायी / 186–2002–1000+70 (कम्प्यूटर / ऑफसेट)।